

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 (फैक्स: 23389985)

संदर्भ सं. एल-16013/3/2012-जीपी-1।

दिनांक: 20 अगस्त, 2014

सेवा में

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
गेल (इंडिया) लिमिटेड
नई दिल्ली
2. महानिदेशक,
पीपीएसी,
नई दिल्ली।

विषय: सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों के लिए सीजीडी कंपनियों को घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन / आपूर्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देश।

महोदय,

इस मंत्रालय ने सीजीडी कंपनियों [सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू)] को किए जाने वाले घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन / आपूर्ति के दिनांक 3.2.2014 के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। दिनांक 20.8.2014 के संशोधित दिशानिर्देशों की एक प्रति सख्त अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न है।

भवदीय,

हस्ता./-
(प्रशांत लोखंडे)
उप सचिव
दूरभाष: 23073069

प्रतिलिपि :

1. सूचना के लिए सचिव, पीएनजीआरबी
2. सूचना के लिए सभी सीजीडी संस्थाएं
3. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 (फैक्स: 23389985)

संदर्भ सं. एल-16013/3/2012-जीपी-1।

दिनांक: 20 अगस्त, 2014

विषय: सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों के लिए सीजीडी कंपनियों को घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन / आपूर्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देश।

अधोहस्ताक्षरी का यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय ने सीजीडी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन / आपूर्ति के दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और घरेलू गैस को समय-समय पर संशोधित करने को देखते हुए सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों के लिए सीजीडी संस्थाओं का आवंटन, गैल को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी वास्तविक खपत के अनुसार सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र से घरेलू गैस को अपवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है:

- (i) गैल द्वारा प्रत्येक छह महीने के बाद आवंटन का कार्य किया जाएगा। पीपीएसी एक आधा वर्ष पूरा होने के 20 दिनों के अंदर गैल को सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) सेगमेंट में प्रत्येक सीजीडी कंपनी द्वारा गैस की औसत खपत को प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, सीजीडी क्षेत्र (सीएनजी परिवहन और पीएनजी घरेलू) की मांग में उतार-चढ़ाव को पूरा करने के लिए गैल को घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए सीएनजी (परिवहन) की 100% आवश्यकता और व्यक्तिगत सीजीडी कंपनी के पीएनजी (घरेलू) के अलावा 10% की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसकी गणना पिछली छमाही की खपत के अनुसार की जाती है। तदनुसार, गैल सीएनजी (परिवहन) और व्यक्तिगत सीजीडी कंपनियों के पीएनजी (घरेलू) की उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथानुपात कटौती करके गैर-प्राथमिकता क्षेत्र से घरेलू गैस (एनईपीएल गैस को छोड़कर) को अपवर्तित करेगी। जैसा कि मंत्रालय के दिनांक 3.2.2014 के पत्र और दिनांक 5.3.2014 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है, यथानुपात कटौती अधिकतम 5000 एससीएमडी तक की आपूर्ति से लेकर 50,000 एससीएमडी तक घरेलू गैस आवंटित करने वाले छोटे उपभोक्ताओं और टीटीजेड को आवंटित एपीएम गैस की 1.1 एमएमएससीएमडी पर लागू नहीं होगी। गैल द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को आधे वर्ष के पूरा होने के बाद 1 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद गैल सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों में खपत के लिए सीजीडी से आवंटित घरेलू गैस की मात्रा के विवरण देते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

- (ii) प्रत्येक सीजीडी कंपनी को गैस की आपूर्ति एकसमान आधार मूल्य पर की जाएगी।
- (iii) घरेलू गैस के अलावा, दो समीक्षा अवधि के बीच की अवधियों में गैस की अतिरिक्त आवश्यकता, यदि कोई हो, की आपूर्ति व्यक्तिगत सीजीडी कंपनियों से की जाएगी।
- (iv) आवंटन के लिए संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में केवल उन्हीं सीजीडी कंपनियों को विचार किया जाएगा, जिन्हें दिनांक 03.02.2014 के एमओपी एंड एनजी दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू गैस आवंटित की गई है। गैल उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी नई सीजीडी कंपनी / मौजूदा सीजीडी कंपनी के किसी नए भौगोलिक क्षेत्र को घरेलू गैस की आपूर्ति करने से पहले एमओपीएंड एनजी से अनुमति प्राप्त करेगा।
- (v) ये दिशानिर्देश तब तक लागू होंगे, जब तक गैल के पास गैर-प्राथमिकता क्षेत्र से अपवर्तित गैस उपलब्ध होगी और गैल सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर की गई कटौती पर विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (vi) परिचालन संबंधी मुद्दों को देखते हुए दिशानिर्देश टीएनजीसीएल और एजीसीएल पर लागू नहीं होंगे।
- (vii) चूंकि पिछला आवंटन दिनांक 3.2.2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार एच1 2013-14 की वास्तविक खपत के आधार पर किया गया था, अतः गैल एच2 2013-14 के दौरान वास्तविक खपत के अनुसार आवंटन में संशोधन करेगा।
- (viii) अप्रैल से सितंबर, 2014 तक अर्द्धवार्षिक समीक्षा शुरू की जा सकती है।
2. दिनांक 16.4.2014 के स्पष्टीकरण को वापस लिया गया माना जाए।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(प्रशांत लोखंडे)
उप सचिव